



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

134 लक्ष्मी नारायण कार्ती

बनाम लालेन्द्र मली वगैरह

2

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार
	<p>अभिलेख सं०-एम...103.../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रगारी (सुनिगादि) के अप्राथमिकी सं०-23/18 दिनांक-17-7-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि डरौवडी मौजा के इलाका न० 11 प्लॉट न० 54 रकबा 66510 72 मि पर बहवाण को लेकर समय पूर्व के विवाद है</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 24-08-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <p align="center">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </p> <p align="center">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </p> <p align="center"> पी.राज पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। दिनांक 07-09-18 को रखे। </p>	

20

26

05 24-08-18

15-03-19

अभिलेख अपान्याप्त। प्रथम मंत्र
अपान्याप्त दिनांक पर क्रमांक 01 अपान्याप्त
कार्य अनुपान्याप्त। उक्त वाद के 6
(6) माह की अवधि पूरी हो चुकी है
अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है।
अतः वाद के अभिलेख की कारवाई
बन्द की जाती है।


15/3/19